न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

अधिहरण वाद सं0–02/2012–13

सरकार द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़

बनाम

बरार शेख वगैरह

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

25.10.2017

यह अधिहरण वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक 525/आ0, दिनांक 06.08.2012 के द्वारा 70 (सत्तर) बोरा चावल प्रति बोरा 50 (पचास) किलोग्राम कुल 35 (पैंतीस) क्वींटल चावल को अधिहरण करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर प्रारंभ किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विपक्षियों को कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। वाहन संख्या– JH-16A/4976 के चालक बरार शेख, पिता–इस्लाम शेख, सा0–डांगापाड़ा, थाना–महेशपुर एवं लुतफूल शेख, पिता–मुमीरूद्दीन शेख, सा0–सोहबील, थाना–महेशपुर की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी ट्रक मालिक ओम प्रकाश भगत, पिता–स्व0 केदार प्रसाद भगत की ओर से वकालतन के साथ हाजिरी दी गई है।

विपक्षियों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। उनका कहना है कि वर्णित मामला विपक्षियों के विरूद्ध वर्षो से लंबित चला आ रहा है। यह कि लंबित मामले से जुड़ा महेशपुर थाना काण्ड सं0–42/12 u/s 7EC S.D.J.M. न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा चुका है। अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ द्वारा विपक्षियों को दोषमुक्त करते हुए बरी किया जा चुका है। उनके द्वारा जब्त खाद्यान्न से विपक्षियों का कोई दावा नहीं होने की बात बतायी गयी है। उन्होंने इस कार्यवाही को तुरन्त समाप्त करने का अनुरोध किया है। उनके द्वारा अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ द्वारा जी0आर0नं0–234/12, महेशपुर थाना काण्ड सं0–42/12, टी0आर0नं0–962/15 में दिनांक 26.03.15 को पारित आदेश की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेखबद्ध है।

विपक्षी के अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि जिस जब्त चावल को अधिहरण करने हेतु यह वाद चलाया गया वह चावल अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पाकुड़ के आदेश के अनुपालन में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, महेशपुर द्वारा ज्ञापांक 51 दिनांक 30.10.2012 से पूर्व में ही मो0 नूर आलम, जन वितरण प्रणाली विक्रेता, महेशपुर को उचित पहचान एवं प्राप्ति रसीद के आधार पर मो0 लुतफुल शेख, पिता--गमीरूद्दीन शेख सा0--सोहबील, थाना--महेशपुर को हस्तगत कराने का आदेश दिया जा चुका था। यद्यपि कि विपक्षियों के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बिना अभिलेख एवं स्वयं द्वारा दिनांक 23.08.2013 को दाखिल कारणपृच्छा का अवलोकन किये बिना ही जब्त चावल पर किसी प्रकार का दावा नहीं करने का दिनांक 11.10.2017 को लिखित अर्जी दाखिल किया है। अतः उक्त के आलोक में इस वाद की कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं रहने के कारण समाप्त किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित [signature] 31/10/17 उ पा यु क्त, पाकुड़। [signature] 31/10/17 उ पा यु क्त, पाकुड़।	70/डी०सी० दि० 31.10.17 के द्वारा जि०आ०प० पाकुड़ को आदेश की प्रति का प्रेषण [signature]

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.01.09 17:27:57 +05:30
Location: 192.168.1.101

Scanned with CamScanner